न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 08/2018 राजस्व अपील

1. रम्भू पुत्र लाला जाति गुर्जर निवासी पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 08.03.2016 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रम्भू मु.न. 451/2016 अन्तर्गत धारा 91 आर एल आर एक्ट

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।

: श्री चन्द्रशेखर टापरिया राजकीय अधिवक्ता उप0।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–: निर्णय :– दिनांकः 01.06.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का पीपलकी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मिन अपीलान्ट ने वाके ग्राम पीपलकी के आराजी खसरा नम्बर 306/2 रकबा 03 बीघा किस्म चरागाह भूमि मे से 1 बीघा 10 बिस्वा पर सरसों, 10 बिस्वा पर गेहूं की काश्त कर एवं 01 बीघा भूमि कब्जा पडत कर अतिक्रमण कर लिया है तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दिनांक 08.03.2016 को दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 08.03.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन नहीं करते हुए यह निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात (शपथ पत्र कब्जा काश्त नही होने का) अवलोकन नहीं करते हुए निर्णय पारित किया है। अतः उक्त निर्णय निरस्तनीय है। साथ ही यह भी निवेदन किया गया है कि यदि चरागाह भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण हो तो उसे हटा लिये जाने का शपथ पत्र पेश कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम पीपलकी के आराजी खसरा नम्बर 306/2 रकबा 03 बीघा किस्म चरागाह भूमि मे से 1 बीघा 10 बिस्वा पर सरसों, 10 बिस्वा पर गेहूं की काश्त कर एवं 01 बीघा भूमि कब्जा पडत कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनिययम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 08.03.2016 के द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस के दौरान अपीलान्ट का किसी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नही होना तथा इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जाना व्यक्त किया गया है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलांट द्वारा ग्राम पीपलकी के आराजी खसरा नम्बर 306/2 रकबा 03 बीघा किस्म चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत शपथ पत्र उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.03.2016 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official